पत्रांक :– 01 / स्था॰(नियुक्ति)–08–01 / 2021–

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रदीप कुमार गुप्ता,
सरकार के उप सचिव (प्र॰)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

मुख्य अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची।

राँची, दिनांक :–

विषयः–झारखण्ड भा॰प्र॰से॰ संवर्ग में चयन वर्ष 2020 (01.01.2020 से 31.12.2020 की रिक्ति) के लिए सम्पुष्ट 01 रिक्ति के विरूद्ध गैर राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भा॰प्र॰से॰ में नियुक्ति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः–कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक–779 दिनांक 04.02.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र को संलग्न करते हुए कहना है कि संलग्न पत्र के अनुरूप योग्यताधारी, उत्कृष्ट पदाधिकारियों के संबंध में आवश्यक सूचना संलग्न प्रपत्र में देते हुए आवश्यक अभिलेख सहित दिनांक 28.02.2021 तक अनुशंसा करते हुए विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, ताकि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को अपेक्षित प्रतिवेदन भेजा जा सके।

अनु॰–कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
झारखण्ड का पत्रांक–779 दिनांक 04.02.2021

विश्वासभाजन,

ह॰ / –
(प्रदीप कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव(प्र॰)।

ज्ञापांक :– 793 (अनु॰) राँची, दिनांक :– 11/2/21

प्रतिलिपिः–वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु॰–कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
झारखण्ड का पत्रांक–779 दिनांक 04.02.2021

10.02.2021

(प्रदीप कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव(प्र॰)।

G:\PRA-2021\DY. SEC\IAS\All Chief Eng. IAS.doc

पत्रांक–1/सी0–201/2021 का०–779(अ०)

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची।
(वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत गृह प्रभाग को छोड़कर)

राँची, दिनांक– 04/02/2021

विषय:– झारखण्ड भा.प्र.से. संवर्ग में चयन वर्ष 2020 (01.01.2020 से 31.12.2020 की रिक्ति) के लिए सम्पुष्ट 01 रिक्ति के विरूद्ध गैर राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भा.प्र.से. में नियुक्ति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि भा.प्र.से. (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) एवं भा.प्र.से. (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमन, 1997 के आलोक में ऐसे स्थायी राजपत्रित पदाधिकारी, जो राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी नहीं हैं, जो उत्कृष्ट योग्यता एवं गुण के हों, दिनांक 01 जनवरी, 2020 को 56 वर्ष से अधिक आयु के नहीं हों तथा अधिष्ठायी हैसियत से राजपत्रित पद, अपुनरीक्षित वेतनमान 8000–13500 जिसका पुनरीक्षित वेतनमान 15600–39100/–, पे बैंड–3, ग्रेड पे–5400/–(Level-9, 7th PRC) तथा उच्चतर वेतनमान में लगातार आठ वर्षों तक कार्यरत हों, तथा वह पद राज्य प्रशासनिक सेवा के समतुल्य घोषित हो, विशेष परिस्थिति में भा.प्र.से. में नियुक्ति के लिए विचारणीय हैं।

2. अनुरोध है कि प्रशासी विभाग ऐसे राजपत्रित पदाधिकारियों की योग्यता के आधार पर अधिकतम 01 पदाधिकारी का चयन विभागीय चयन समिति के माध्यम से कर निम्नलिखित शर्त, बंधेज एवं औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए दिनांक 31.03.2021 तक आवश्यक कागजातों सहित निश्चित रूप से भेजने की कृपा की जाय :–

(i) प्रत्येक विभाग एक चयन समिति गठित करेंगे, जिसके अध्यक्ष विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव होंगे, तथा उनके अतिरिक्त समिति के अन्य दो सदस्य रहेंगे, जिसमें से एक विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा मनोनीत किसी अन्य विभाग के अपर सचिव अथवा इससे उच्च स्तर के पदाधिकारी होंगे, तथा दूसरे विभागान्तर्गत कोई विभागाध्यक्ष होंगे, यदि कोई हो तो, अन्यथा विभाग के ही कोई अन्य वरीय पदाधिकारी होंगे। यदि पूर्व से इस आशय की समिति गठित हो तो उस समिति के माध्यम से चयन कर अनुशंसा भेजी जायेगी।

जल संसाधन विभाग
(संयुक्त सचिव कोषांग)
संख्या 95
दिनांक 5.2.21

(6)

(ii) संलग्न बायोडाटा में अन्य सूचनाओं सहित पदाधिकारी की जन्म तिथि (अंकों एवं शब्दों में) सम्पुष्टि की तिथि, वर्तमान पद का नाम तथा वेतनमान एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के यदि हों, तो स्पष्टतः अंकित किया जाय। राज्य प्रशासनिक सेवा के समतुल्य पद पर नियुक्ति की तिथि, पद का नाम एवं वेतनमान अवश्य अंकित किया जाय। (प्रपत्र 'क' संलग्न)

(iii) अनुशंसित पदाधिकारी अवश्य ही उत्कृष्ट योग्यता एवं गुण के हों तथा उनके विरूद्ध कोई प्रथम द्रष्टव्या आरोप प्रमाणित नहीं हो। उनके विरूद्ध विभागीय आरोप, अद्यतन निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं लोकायुक्त के कार्यालय में मामला लम्बित नहीं रहने का अद्यतन प्रमाण पत्र भी भेजा जाय, ताकि पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र स्वीकारना उचित हो। (प्रपत्र 'ख' एवं 'ग' में सूचना सहित)

(iv) अनुशंसित पदाधिकारी की विगत 07 वर्षों की पूर्ण अद्यतन चारित्रियाँ (मूल में अथवा अभिप्रमाणित) भेजी जाय, अर्थात यह संतुष्ट हो लिया जाय कि गोपनीय अभ्युक्तियाँ तीनों स्तरों से एवं सही रूप से प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार द्वारा अभिलिखित हो। विशेष चारित्री मान्य नहीं होगी। यदि किसी अवधि (एक दिन की भी) की अभ्युक्ति अभिलिखित नहीं हो तो कारण अंकित कर प्रमाण पत्र देते हुए चारित्री पूर्ण कर ही भेजा जाय। यह भी प्रमाणित किया जाय कि चारित्री विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पूर्ण है।

(v) पदाधिकारी का सेवा इतिहास विहित प्रपत्र में स्पष्टतः भेजा जाय। सेवा इतिहास में योगदान की तिथि एवं पदनाम से लेकर अभी तक की सेवा का पूर्ण विवरण होना चाहिए।(प्रपत्र 'ङ॰' में सूचना सहित)

3. इस विभाग में अनुशंसा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31.03.2021 है। यदि उक्त तिथि तक अनुशंसा प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको कोई अनुशंसा नहीं करनी है तथा उक्त तिथि के बाद प्राप्त अनुशंसा विचारणीय नहीं होगा। अपूर्ण प्रस्ताव/अनुशंसा भी विचारणीय नहीं होगा।

4. अनुरोध है कि प्रशासी विभाग से अधिकतम 01 उत्कृष्ट पदाधिकारी की अनुशंसा सम्पूर्ण प्रमाणित वांछित अभिलेखों के साथ उक्त निर्धारित तिथि तक भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक–यथोक्त।

4/2/4

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

प्रपत्र –'क'

Annexure 3.4 (Non-SCS)

Bio-Data of Non SCS Officers

1. Name of Officers :-
2. Date of Birth :-
3. Educational Qualification :-
4. Whether belongs to SC/ST/OBC -
5. Date of confirmation in Gazetted posts :-
6. Present Post held :-
7. (i) Date of appointment to the post which has been declared equivalent to the post of Dy. Collector in the State Civil Service :-

   (ii) Name of the Post :-

   (iii) Whether holding that post substantively and the date since when :-
8. Details of Gazetted posts held :-

S.No.	Name of the Posts held	Category of posts	Period	Scale of Pay	Duties (in brief)

9. Achievements in Brief (including publications if any) :-
10. Training undergone :-

(5)

प्रपत्र–ख

ANNEXURE-4.1

(A) Details of disciplinary proceedings pending against eligible officers.

S.No.	Name of the Officers (S/Shri)	Date of issue of charge sheet to the officers	Brief facts and Nature of Charges	Present Status
1	2	3	4	5

Note :- No disciplinary proceeding is pending against any eligible officer.

(B) Details of Criminal proceedings pending against eligible officers.

S.No	Name of the Officers (S/Shri)	Date of filing of charge sheet before the Court	Brief facts and Nature of Charges	Present Status
1	2	3	4	5

Note- .No criminal proceeding is pending against any eligible officer.

प्रपत्र–ग

Annexure-4.2

DETAILS OF PENALTIES IMPOSED ON ELIGIBLE OFFICERS DURING THE LAST 10 YEARS

S. N.	Name of Officer(s) (S/Shri)	Year in which offence is committed	Date of issue of Charge sheet	Date on which penalty imposed	Nature of Penalty	Period of Currency of the penalty and the date when the currency of penalty will be over.	Whether any appeal has been filed and if so whether there is any interim stay/stay.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(7)

प्रपत्र–घ

Annexure -6

Certificates regarding communication of adverse remarks in respect of eligible officers

(i) Adverse remarks in the character rolls of the following eligible officers have not been communicated by the State Govt. to the officers concerned.

Sl. No.	Name ((S.Shri)	Period

(ii) Adverse entries in respect of the following eligible officers have been communicated but no representations have been so far received from the officers concerned but the time limit to represent is not yet over.

Sl. No.	Name ((S.Shri)	Period

(iii) Representations against adverse entries in respect of the following officers have been received within the stipulated time but the decision of the State Government is yet to be taken.

Sl. No.	Name ((S.Shri)	Period

Note : No adverse remarks has been reported against any eligible officers.

(1)

प्रपत्र–'ङ०'

PERFORMA

Statements showing the particulars of Non-State Civil Service Officers whose cases are proposed to be considered for appointment to I.A.S. (appointment by selection) Regulation, 1997.

Sl.No.	Name	Date of Birth	Date of continuous appointment to a gazetted post involving duties comparable in importance and responsibilities to that of the State Civil Service. The Designation & pay Scale & Classification Class 9 or Class 99 of the gazetted post & the period during which the post were held may also be indicated	Date of confirmation in a gazetted post involving duties comparable in importance & responsibility to that of the State Civil Service. The designation & pay scale of the post indicated.
1	2	3	4	5

D:\Important\NON SCS\PROFORMA.doc